

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(बड़जलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला— सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, जनापुर
2. श्री नाथुराम पुत्र श्री बाबराजी रेबारी, निवासी—जनापुर,
तहसील—पिण्डवाडा, जिला सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 25/2020

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विक्रम अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या— 2 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 22 जनवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.2014 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 24930 दिनांक 07.10.2014 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में दर्ज हुआ। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, सिरौही के पत्र क्रमांक:कोर्ट/2020/30 दिनांक 30.1.2020 से यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या—1 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या— 2 की ओर से निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में दिनांक 08.1.2021 को बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या—2 के अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या—2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन किया गया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या—2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। अप्रार्थी संख्या—2 को नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने की शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा द्वारा की गई। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के पत्र क्रमांक:पंचायत/जांच/2015/1061 दिनांक 30.12.2015 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरौही ने पत्र क्रमांक:पंचायत/जांच/2015/1057-60 दिनांक 11.1.2016 से उपखण्ड आयुक्त महोदय, जोधपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उपखण्ड से पूर्व मौकेलगातार पेज दो



जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

पर अप्रार्थी संख्या-2 का अतिक्रमण पाया गया। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:प.12(3)(141)राज/2013/22-27 दिनांक 03.1.2014 के द्वारा ग्राम पंचायत, जनापुर को ग्राम जनापुर के खसरा संख्या 5 में रकबा 4.13 बीघा व खसरा संख्या 668 में रकबा 5.18 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.11 बीघा भूमि का आबादी विस्तार हेतु शर्त आवंटन किया गया था। जिला कलक्टर महोदय, सिरौही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या-1 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को बेदखल किया जायेगा। ग्राम पंचायत, जनापुर ने जिला कलक्टर, सिरौही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या-1 का पालन नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या-2 साधन सम्पन्न व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या-2 का आवास गृह पूर्व से ही ग्राम जनापुर में है, इस कारण से अप्रार्थी संख्या-2 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। जिला कलक्टर, सिरौही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत द्वारा आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8ख के प्रावधान अनुसार ग्रामसभा में गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या (रजिस्ट्रीकृत मतदाता) के दशांश की होगी, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की जन संख्या के अनुपात में उपस्थिति आवश्यक व धारा 8क(7) के अनुसार पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति का ग्राम सभा में उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन ग्राम पंचायत, जनापुर की विशेष ग्राम सभा दिनांक 13.2.2014 में कोरम पूर्ण नहीं था। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142(1) के तहत ग्राम पंचायत ने ग्राम विकास योजनाओं का अनुमोदन नगर नियोजक के अधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया है, जिससे ग्राम विकास योजना प्लान विधि सम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपात्र व्यक्तियों एवं अतिक्रमियों को ग्राम पंचायत ने रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर अनुचित लाभ पहुँचाया है। इस मामले में सरपंच, सचिव व हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने से व नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के कारण संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने तत्कालीन सरपंच को 5 वर्ष की अवधि के लिये चुनाव लड़ने के लिये अपात्र घोषित किया है, साथ ही हल्का पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर, सिरौही को व सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरौही को निर्देश दिये हैं तथा बाजार दर से राशि जमा करवाने की स्थिति में पट्टा भूमि को नियमित करने एवं राशि जमा नहीं होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये हैं। ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को बाजार दर अनुसार राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिये गये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत में बाजार दर अनुसार राशि जमा नहीं करवाई है। ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.10.2014 को की गई, लेकिन उस दिन रविवार होने के कारण तारीख बदल कर दिनांक 06.10.2014 की गई है एवं इस बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-2 भूमि विक्रय के संबंध में नहीं होकर आपत्ति नोटिस जारी करने के संबंध में है। ग्राम पंचायत, जनापुर ने अपात्र व्यक्ति को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन कर ग्राम पंचायत, जनापुर को राजस्व की क्षति पहुँचाई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जनापुर ने राजस्थान पंचायती राज नियमों में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्ण

.....पेज तीन पर



ब.स. वि.स.
सिरौही (राज.)

पंचायत, जनापुर ने जिला कलक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या-2 के अनुसार इनके पात्रता की जांच करने हेतु ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, जनापुर एवं पटवारी, जनापुर तथा ग्राम पंचायत, जनापुर के 7 वार्ड पंचों की समिति गठित कर रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता की जांच करवाई थी, जिसमें मौका निरीक्षण कमेटी ने केवल 39 व्यक्तियों (अप्रार्थी संख्या-2 सहित कुल 39 व्यक्ति) को ही रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र माना है। ग्राम पंचायत, जनापुर को मौका निरीक्षण कमेटी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत, जनापुर ने ग्राम पंचायत, जनापुर की बैठक दिनांक 06.10.2014 में प्रस्ताव संख्या- 4 पारित कर कुल 39 व्यक्तियों (जो रियायती दर पर भूखण्ड पाने की पात्रता रखते थे) को रियायती दर पर भूखण्ड कर पट्टे जारी करने का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत कोष में रियायती दर अनुसार राशि जमा होने के बाद अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर पट्टा जारी कर कब्जा सुपर्द किया है तब से अप्रार्थी संख्या-2 मौके पर काबिज है। यह कि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड पाने की पात्रता नहीं रखता हो। यह कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.2014 को आज तक प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नहीं दी है जिसके अस्तित्व में रहते यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नहीं है। ग्राम सभा की बैठक में कौरम का अभाव किस प्रकार है, यह प्रार्थी पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव व पट्टे के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 61 के तहत अपील का प्रावधान है और जहां नियमों में अपील के प्रावधान है तो ऐसे मामलों में निगरानी कानूनन प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 06.10.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या- 4 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 24930 दिनांक 07.10.2014 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियों लुहारों, को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेंगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:प.12(3)(141)राज/2013/22-27 दिनांक 03.1.2014 के द्वारा ग्राम पंचायत, जनापुर को ग्राम जनापुर के खसरा संख्या 5 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 668 में रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया गया। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-1 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-2 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर


.....पेज पांच पर




बा. वि. सिरोही
सिरोही (राज.)

अथवा अप्रार्थी संख्या-2 के पास पूर्व से ही स्वयं का आवास गृह या आवासीय भूखण्ड उपलब्ध हो। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति नहीं हो। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।




(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही